

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनू
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न०- 201/2022
जी सी एम एस न० 2022/488

दर्ज दिनांक 31.05.2022
निर्णय दिनांक 21.06.2023

मुकेश कुमार वगै०

बनाम
दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

महावीर प्रसाद आदि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...
-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.06.2023 को अंतिम डिक्री
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.06.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी
को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल
नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
किया जावे। निज..-.....निल..... मुबलिक -.....
निल..... दाबन.-.....निल..... खर्चा इस
मुकदमें के मय सूद बशरह -.....निल..... फीसदी आज की
तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल..... का अदा करे।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 06 सन 2023 को
जारी की गई।

रामसिंह राजावत
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुझुनू)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न०- 201/2022
जी सी एम एस न० 2022/488

दर्ज दिनांक 31.05.2022
निर्णय दिनांक 21.06.2023

मुकेश कुमार वगै०

बनाम
अंतिम निर्णय

महावीर प्रसाद आदि

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2023 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया। ग्राम सिंगनौर के भूमि खसरा न० 861 रकबा 1.84 है०, खसरा न० 867 रकबा 3.17 है० कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.01 है० में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.04.2023 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र क्रमांक:- भू.अ./2023/1445 दिनांक 15.06.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर कोई ऐतराज पेश नहीं है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.06.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.06.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

21.6.23
रामसिंह राजावत
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.6.23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)